इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय

कृषि विज्ञान केन्द्र

ग्राम–पाहंदा (अ), वि.ख.–पाटन, दुर्ग, (छ.ग.) 490042

क्रमांक / स्था. / के.वी.के. / दुर्ग–II / 2017–18 / 297 दिनांक: 23 / 09 / 2017

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा एवं निदेशक, विस्तार सेवायें, इं.गा.कृ.वि., रायपुर के अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यक्रम सहायक (पादप रोग विज्ञान) के पद पर संविदा के माध्यम से निश्चित वेतन (रू. 18900 / प्रतिमाह) पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन / पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालम नं. 04) पदस्थापना स्थल पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है ।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
(01)	(02	(03)	(04)
01	श्री मनोज कुमार साहू आत्मज श्री याद राम साहू, ग्राम पो.–बसनाझर, तह. खरसिया जिला रायगढ (छ.ग.) 496661	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राम–पाहंदा (अ) दुर्ग (छ.ग.) 490042

संविदा नियुक्ति की शर्ते :–

1. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्तव्य पर मय प्रमाण–पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गये कोई भी प्रमाण–पत्र / दस्तावेज तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी ।
3. उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है । सूचना न देने की स्थिति एक माह का वेतन–भत्ता भुगतान / जमा करना होगा ।
4. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबंधित की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
5. आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से जाति के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र भराया जावेगा । संबंधित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं संबंधित को प्रदत्त लाभ व सुविधाओं पर व्यय की गई राशि वसूल की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरूध्द प्रवृत्त कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
6. सबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा । चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरूध्द कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा ।
7. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी ।
8. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा ।

9. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन / पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी।

10. संविदा पर नियुक्ति अभ्यर्थी नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जावेगी।

11. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए. / डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन / राज्य शासन के मण्डल निगम / आयोग / विश्वविद्यालय / प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना / कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद / तदर्थ पद के विरूद्ध आहरित होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र,
ग्राम–पाहंदा (अ) दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / स्था. / के.वी.के. / दुर्ग / 2017–18 / 298-302

दिनांकः 23 / 09 / 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कुल सचिव, इ. गा. कृ. वि. वि., रायपुर।
2. लेखा नियंत्रक, इ. गा. कृ. वि. वि., रायपुर।
3. निदेशक, अटारी, आई.सी.ए.आर.,जबलपुर।
4. निदेशक विस्तार, इ. गा. कृ. वि. वि., रायपुर।
5. माननीय कुलपतिजी के निज सहायक, इ. गा. कृ. वि. वि., रायपुर।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र,
ग्राम–पाहंदा (अ) दुर्ग (छ.ग.)